W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।

रेफरेंस/एलआर/5099/2003/जिला टोंक

1— राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, टोंक।
2— मोहनसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक।
3— भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक।
4— चुन्नीलाल पुत्र बजरंगलाल यादव जाति अहीर निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक।
5— पप्पू पुत्र बालू जाति जाट निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक।
6— बजरंगलाल पुत्र पोखर बैरवा निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक।
7— कालू पुत्र हजारी जाति हरिजन निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक।

............प्रार्थीगण

बनाम

1— नारायणसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी बारेड़ा तहसील निवाई, जिला टोंक।
2— किशनसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी बारेड़ा तहसील निवाई, जिला टोंक।

.....अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थितः—
1. श्री रमजान खान, राजकीय उपअधिवक्ता।
2. श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक, प्रार्थी संख्या 2 व 5।
3. श्री अजीतसिंह, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1 व 2।

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

दिनांकः 20—12—2011

निर्णय

1— राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेंस जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 16—07—2003 द्वारा अभिशंषित करके राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

COMPARED BY

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मोहनसिंह पुत्र भोपालसिंह व 5 अन्य प्रार्थीगण सभी निवासियान ग्राम बारेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक द्वारा जिला कलेक्टर, टोंक के समक्ष एक प्रार्थनापत्र राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 136 इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम बारेड़ा जागीरदार का गांव था और उसके जागीरदार तत्कालीन ठाकुर मोतीसिंह, कलयाणसिंह आदि ने अपने सक्षमता व प्रभाव के कारण जागीर अधिग्रहण के समय अच्छी किस्म की भूमि और सार्वजनिक उपयोग की भूमि की खातेदारी अपने नाम करा ली। ग्राम बारेड़ा स्थित खसरा संख्या 482 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा गैरमुमकिन तालाब राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है जो ग्राम वासियान के नहाने धोने के काम आता है, जिसको विपक्षीगण के पूर्वज जागीरदार होने के कारण गलत रूप से अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि तालाब की भूमि किसी भी निजी व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हो सकती। इसी प्रकार खसरा नम्बर 484 की भूमि इसी तालाब की पाल है जो कि तालाब की सुरक्षा के लिये है। किन्तु विपक्षीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने से वे इसे भी खुर्दबुर्द करने पर उतारू हैं। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि तालाब खसरा नम्बर 482 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा और खसरा नम्बर 484 गैर मुमकिन तालाब का अंकन विपक्षीगण के नाम से हटाने हेतु रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे।

3— प्रार्थीगण श्री मोहनसिंह आदि का उक्त प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा प्रकरण धारा 82 भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया और नारायणसिंह आदि को नोटिस जारी किये गये गये। नोटिस जारी होने पर नारायणसिंह आदि उपस्थित आये और अपना पक्ष प्रस्तुत किया कि बारेड़ा गांव स्व. श्री मोतीसिंह की जागीर का गांव है और सेटलमेंट से पहले से ही वादग्रस्त नाड़ा (तालाब) उनके पूर्वजों की खातेदारी में था। सम्वत 2011 से काफी सालों पहले से ही जागीरदार खुद इस भूमि पर काश्त करते थे और इस कारण जागीर पुनर्ग्रहण के समय इस भूमि व तालाब की खातेदारी अप्रार्थीगण को मिली है। यह भी कि प्रार्थनापत्र आपसी रंजिश के कारण प्रस्तुत किया गया है।

4— जिला कलेक्टर द्वारा दोनों पक्षों का सुनकर और राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2053—2056 का अवलोकन करने के बाद यह निष्कर्षांकन किया गया कि खसरा नम्बर 482 की भूमि किस्म तालाबी अप्रार्थीगण नारायणसिंह आदि के नाम दर्ज है। उक्त तालाबी भूमि भूप्रबन्ध खतौनी सम्वत 2011—2030 में प्रतिपक्षीगण के पिता मोतीसिंह पुत्र रतनसिंह, धनसिंह पुत्र फतेहसिंह की खातेदारी में लगी। प्रतिपक्षीगण ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पाये जो यह सिद्ध करे कि वादग्रस्त तालाबी भूमि सेटलमेंट से पहले से उनके कब्जे—काश्त में चली आ रही हो। तालाबी भूमि में खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वर्जित मानते हुये जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा उक्त खातेदारी को

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

निरस्त कराने हेतु अपनी अभिशंषा सहित हस्तगत रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किया है।

5— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण नारायणसिंह आदि को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जिला कलेक्टर, टोंक के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने वाले प्रार्थीगण मोहनसिंह आदि भी राजस्व मण्डल के समक्ष जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

6— दौराने बहस उपराजकीय अधिवक्ता और उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

7— विद्वान राजकीय उपअधिवक्ता द्वारा जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—07—2003 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क किया गया कि वादग्रस्त भूमि किस्म तालाबी है और तालाब की भूमि में किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान राजकीय उपअधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान के प्रकरण में दी गयी न्याय व्यवस्था की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया। प्रार्थीगण मोहनसिंह आदि के अभिभाषक द्वारा भी सरकारी पक्ष का समर्थन करते हुये वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण की खातेदारी से खारिज करने का अनुरोध किया गया।

8— जवाबी बहस में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि वादग्रस्त तालाब सार्वजनिक नहीं हो कर जागीरदार का व्यक्तिगत तालाब था जो कि सम्वत 2011 और उसके पहले के राजस्व रिकॉर्ड में भी जागीरदार की खुदकाश्त में दर्ज है। इस कारण जागीर अधिग्रहण के समय उक्त तालाब राजस्थान भूमि सुधार व जागीर अधिग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 23 के प्रावधान अनुसार जागीरदार की व्यक्तिगत सम्पति मान कर अधिग्रहण से मुक्त रखी गयी थी और खुदकाश्त में दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के साथ ही उक्त तालाबी भूमि की खातेदारी जागीरदार श्री मोतीसिंह आदि को मिल गयी थी। विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 1973 RRD 395 & 1994 RRD 520 से समर्थन लेते हुये यह भी तर्क किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 16(2) में दिनांक 13—01—1958 से संशोधन कर 'तालाब' को जोड़ा गया है और उक्त संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होने से उसे पूर्व में खातेदारी में दर्ज भूमि पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी अभिकथन किया गया कि हस्तगत रेफरेंस प्रार्थनापत्र जिला कलेक्टर के सामने तहसीलदार द्वारा नहीं, अपितु निजी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है और धारा 82 भूराजस्व अधिनियम के तहत निजी रेफरेंस विचारणीय नहीं है। केवल राजकीय हित में प्रस्तुत राजकीय रेफरेंस पर ही धारा 82 के तहत विचार किया जा सकता है। यह भी अभिकथन विद्वान अभिभाषक द्वारा किया गया कि जिन मोहनसिंह आदि प्रार्थीगण ने

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY
21/12/11

जिला कलेक्टर के समक्ष रेफरेंस प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, उन्होनें वादग्रस्त तालाब को अपनी खातेदारी में घोषित कराने के लिये एक राजस्व दावा अप्रार्थीगण नारायणसिंह, किशनसिंह आदि के विरूद्ध प्रस्तुत किया था किन्तु उक्त दावे में उन्हें सफलता नहीं मिली और इस कारण आपसी रंजिशवश धारा 82 के तहत रेफरेंस प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हस्तगत रेफरेंस प्रार्थनापत्र भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9— जिला कलेक्टर की रेफरेंस पत्रावली संख्या 34 / 99 में संलग्न रिकॉर्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया और उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

10— पत्रावली में उपलब्ध नकल सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत 2011—2030 के अनुसार श्री ठाकुर मोतीसिंह आदि वादग्रस्त भूमि के जमींदार थे और कालम संख्या 5 में अंकन अनुसार नाम कृषक भी श्री मोतीसिंह वल्द रतनसिंह व धनसिंह वल्द फतेसिंह हिस्सा बराबर "खुदकाश्त" दर्ज है। जिला कलेक्टर, टोंक के समक्ष प्रार्थीगण मोहनसिंह आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 02—06—1999 अनुसार ग्राम बारेड़ा के जागीरदार श्री मोतीसिंह आदि की जागीर रिज्यूम करते समय वादग्रस्त भूमि को जागीरदार श्री मोतीसिंह आदि की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। खुदकाश्त की भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 (1) और धारा 19 (1) के अनुसार खातेदारी अधिकार अर्जित होते हैं, अतः उक्त दोनों धाराओं का अवलोकन करना प्रासंगिक रहेगा, जो कि निम्न प्रकार है:—

Rajasthan Tenancy Act, 1955

15. Khatedar tenants.- *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made the under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari Rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any law for the time being in force shall be Khatedar tenant and shall, subject to the provisions of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject all the liabilities imposed on a Khatedar tenants by this Act:*

Provided that no Khatedari Rights shall accrue under section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified by the State Government.

19. Conferment of rights on certain tenants of Khudkasht and sub-tenants-

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

(1) Every person who, at the commencement of this Act-

(a) was entered in the annual registers then current as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land, or

(b) was not so entered but was a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land, other than grove land,

Shall as from the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1959, hereinafter in this Chapter referred to as the appointed date, become, subject to the other provisions contained in this Chapter, the Khudkasht tenant of such part of the land held by him as does not exceed the minimum area prescribed by the State Government for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 180 or exceeds the maximum area from which such person is liable to ejectment under clause (d) of the said sub-section of the said section and rights in improvements in such part of the said land shall also accrue to such person:

***Provided that** khatedari rights or rights in improvements shall not so accrue-*

(i) if such part of the said land is held from any of the persons enumerated in Section 46, or

(ii) if such rights therein may not accrue under the proviso to sub-section (1) of section 15 or under section 15A or under section 15B or under section 16, or

(iii) if such person has, after the commencement of this Act, and before the appointed date, ceased to be such tenant of Khudkasht or sub-tenant by virtue of lawful surrender or abandonment in accordance with the provisions of this Act or because of his having been ejected in accordance with the provisions by and under the decree or order of a competent Court.

हस्तगगत प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2011–30 के अनुसार जागीरदार श्री मोतीसिंह पुत्र रतनसिंह तथा धनसिंह पुत्र फतेसिंह की खुदाकश्त में दर्ज रिकॉर्ड़ थी अतः उपरोक्त धारा 15 (1) के प्रावधानों के तहत जागीरदार श्री मोतीसिंह पुत्र रतनसिंह व धनसिंह पुत्र फतेसिंह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के साथ ही उक्त भूमि के खातेदार कृषक हो गये हैं।

11– जिला कलेक्टर, टोंक ने अपने रेफेरेंस अधीन आदेश दिनांक 16–07–1999 में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (2) के कारण किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1973 RRD 395 & 1994 RRD 520 प्रस्तुत करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (ii) में तालाब (tank) शब्द राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करके 1958 के अधिनियम संख्या 2 द्वारा जोड़ा गया है जो कि राजस्थान राजपत्र के भाग–4–क (असाधारण) दिनांक 13–01–1958

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11
निरीक्षक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

में प्रकाशित हुआ था। न्यायिक दृष्टान्त 1973 RRD 395 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "By Rajasthan Act No. 2 of 1958 the words 'or tank' were inserted in section 16(ii) on 13-01-58. The amendment has no retrospective application. If khatedari rights accrue to the respondents prior to 13-01-58, those rights cannot be taken away by the subsequent amendment of section 16(ii)." इसी प्रकार 1994 RRD 520 में भी 1973 आरआरडी पेज 60 और 1973 आरआरडी पेज 395 का अनुसरण करते हुये यही अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (ii) में तालाब (tank) शब्द जोडने बाबत किये गये संशोधन का प्रभाव दिनांक 13–01–58 से पहले मिल चुकी खातेदारी पर नही है। अतः हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण के इस तर्क से सहमत हैं कि धारा 16 (ii) के प्रभाव से तालाब (tank) भूमि में खातेदारी अधिकारों का अर्जित होना दिनांक 13–01–1958 से पूर्व वर्जित नहीं था।

12– राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 23 (1) के अनुसार भी जागीरदार की खुदकाश्त की भूमि और जागीरदार के व्यक्तिगत कब्जे के तालाब आदि को पुनर्ग्रहण से छूट दी गयी है। उक्त धारा 23 (1) निम्न प्रकार है:–

<u>Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act 1952:</u>

23. Private lands, buildings, wells, house-sites and enclosures. *- (1) Notwithstanding anything contained in the last preceding section-*

(a) Khudkasht lands of jagirdar;

(b) (i) all open enclosures used for agriculture or domestic purposes and in his continuous possession (which including possession of any predecessor-in-interest) for six years immediately before the date of resumption;

(ii) [Omitted]

(iii) all private buildings, places of worship, and wells situated in, and trees standing on lands included in such enclosures or house-sites, as are specified in clause (i) above, or land appertaining to such buildings or places of worship;

(iv) all groves and fruit tress wherever situate, belonging to or held by the jagirdar or any other person;

(c) all private wells and buildings belonging to or held by the jagirdar or any other person;

(d) ***<u>all tanks in personal occupation of the jagirdar and not used for irrigating the lands of any tenants in the jagir land;</u>***

shall continue to belong to or to be held by such jagirdar or other person;

Provided that *nothing contained in clause (d) shall affect the rights of the jagirdar in any portion of a tank which may be in the personal cultivation of the jagirdar.*

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11
निरीक्षक
मण्डल राजस्थान
अजमेर
COMPARED BY

चूंकि हस्तगत प्रकरण में खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2011–30 अनुसार वादग्रस्त तालाबी भूमि पूर्व जागीरदार के व्यक्तिगत कब्जे व खुदकाश्त का तालाब था, अतः उपरोक्त धारा 23 (1) (डी) के प्रावधानों के प्रभाव से यह तालाबी भूमि पुनर्ग्रहण से मुक्त थीं।

13– विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अब्दुल रहमान के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–08–2004 के संदर्भ से भी हस्तगत रेफरेंस को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है। अब्दुल रहमान के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–08–2004 का ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त आदेश सार्वजनिक नदियों, तालाबों, व जलसंग्रहण ढांचों एव उनके जलपुनर्भरण क्षेत्रों (feeding or catchment areas) में किये आवंटनों/ अतिकमणों के सम्बन्ध में है और उक्त आदेश को जागीरदार की निजी स्वामित्व वाली ऐसी भूमि पर लागू नहीं किया जा सकता, जोकि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 23 (1) (डी) अनुसार पुनर्ग्रहण से छूट की पात्र है।

14– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का यह भी अभिकथन है कि हस्तगत प्रकरण राज्य सरकार/ जिला कलेक्टर द्वारा स्वतः प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण मोहनसिंह आदि द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र पत्र प्रस्तुत कर मण्डल में रेफरेंस प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था और उसी के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा हस्तगत रेफरेंस मण्डल में प्रस्तुत किया है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि यह दो पक्षकारान के बीच वादग्रस्त भूमि की खातेदारी बाबत विवाद का प्रकरण है और इस प्रकार के निजी विवाद के प्रकरण में रेफरेंस नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा एक वादपत्र संख्या 68/99 की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है जो कि जिला कलेक्टर की पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त वाद मोहनसिंह आदि द्वारा दिनांक 01–06–1999 को ही श्री नारायणयिंह, किशनसिंह आदि के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर, निवाई में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मोहनसिंह आदि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 482 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में 2/5 भाग में अपनी खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष इस आधार पर चाहा गया गया था कि उक्त आराजी में वादीगण संख्या 1 से 4 अर्थात मोहनसिंह आदि का 1/5 और वादी संख्या 5 अर्थात मदनसिंह का 1/5 हिस्सा है किन्तु प्रतिवादीगण अर्थात नारायणसिंह आदि ने गलत रूप से सम्पूर्ण आराजी अपने नाम दर्ज कराली। इससे यह तथ्य साबित है कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त तालाबी भूमि की खातेदारी बाबत मोहनसिंह आदि और अप्रार्थीगण नारायणसिंह आदि के बीच विवाद है और इसी कारण मोहनसिंह आदि द्वारा जिला कलेक्टर, टोंक के समक्ष प्रार्थनापत्र दिनांक 02–06–1999 प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा यह रेफरेंस मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। 1987 RRD 532 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

*"Board should entertain reference only in such matters in which **public policy or interest of State** is adversely affected. Reference on matters in dispute between parties for whom they have other remedies should not be entertained."*

इसी प्रकार 1988 RRD 648 में भी यही व्यवस्था दी गयी है कि–

*Reference to Board is an extraordinary remedy and should be resorted to in **cases involving public or State interest** as opposed to purely private interests. In making a reference, case should be taken to ensure that it does not become a means of providing an easier softer option to private parties as compared to normal channels of legal remedies. Section 82 is a special provision for undoing highly illegal or irregular decisions and should not be allowed to degenerate into an alternative forum for ventilation of grievance of private parties.*

1993 RRD 378 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

*Reference for cancellation of mutation- Dispute between private parties- **No Government interest or question of public policy involved-** Board would not interfere even if the attestation of mutation is apparently irregular.*

उपरोक्त तीनों न्यायिक दृष्टान्तों में निर्धारित सिद्धान्त के आधार पर हमारा मत है कि हस्तगत रेफरेंस निजी पक्षकारारन के विवाद के प्रकरण में मण्डल को प्रेषित किया गया है, जो कि विचारणीय नहीं है।

15– उपरोक्त पेरा 10 से 14 में की गयी विवेचना के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 16–07–2003 के माध्यम से प्रेषित हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। रेफरेंस विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

16– परिणामतः हस्तगत रेफरेंस खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

(मूलचन्द मीणा) 20/12/11
सदस्य